

कार्यालय

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या:-~~171~~/जि0हो0चि0अ0/को0बि0/2025-26 दिनांक: 03/09/2025

आदेश

प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के कार्यालय ज्ञाप संख्या 305/जि0यो0-प्र0वि0स्वी0/2025-26 दिनांक 26 अगस्त, 2025 के क्रम में रा0हो0चि0 कालिका का मरम्मत कार्य एवं योगा हॉल, चहारदीवारी, प्रसाधन का निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष प्रथम किस्त कुल धनराशि रु0 15,00,000/- (रु0 पंद्रह लाख मात्र) का Whole Transfer कोषागार पिथौरागढ़, कोड सं0 3800 कार्यालय कोड सं-5040, लेखाशीर्षक-8443001080503 (Minor Irrigation Division, Pithoragarh) को एतद् द्वारा अनुदान सं-007 लेखाशीर्षक-2515001029104 के मानक मद 42-अन्य विभागीय व्यय से पूर्ण आहरित के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Sr. No	Project	Amount	Sanction Amount
01	S.H.D. Kalika (Renovation Work & Construction of Boundry Wall, Yoga Hall & Toilet	1500000.00	1500000.00
	Total	1500000.00	1500000.00

(डा0 गणेश सिंह)

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी
पिथौरागढ़।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य कोषाधिकारी पिथौरागढ़।
2. लेखालिपिक को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार पूर्ण बिल तैयार कर कोषागार में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. बिल बाउचर पत्रावली।

(डा0 गणेश सिंह)

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी
पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

पत्रांक: /जि०यो०-प्र०वि०स्वी०/2025-26 दिनांक: 26 अगस्त, 2025

कार्यालय ज्ञाप

सचिव रा०यो०आ०, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 41/168/वा०जि०यो०/रा०यो०आ०/2016-17 दिनांक 17 अप्रैल, 2025 के क्रम में जनपद का परिव्यय निर्धारित कर एवं सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 300720/E-22087/14(150) 2017/XXVII(1)/2025 दिनांक 26 मई, 2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में प्रावधानित जिला योजना की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के क्रम में प्रथम किस्त में अनुदान संख्या-07 सामान्य हेतु 5040.50 लाख रु०, अनुदान संख्या-30 एस०सी०पी० हेतु 1712.40 लाख रु० तथा अनुदान संख्या - 31 टी०एस०पी० हेतु 425.70 लाख रु० इस प्रकार कुल 7178.60 लाख रु० अधोहस्ताक्षरी के निर्वतन पर रखा गया है।

जिला योजना वर्ष 2025-26 हेतु जिला होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग का अनुमोदित परिव्यय 15.00 लाख रु० के सापेक्ष जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा प्रथम किस्त हेतु 15.00 लाख रु० की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया है-

(धनराशि लाख रुपयों में)

क्र० सं०	मद का नाम	वर्ष 2025-26 में अनुमोदित परिव्यय	प्रथम किस्त में आवंटित धनराशि की मांग			
			सामान्य	एस०सी०पी०	टी०एस०पी०	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	रा०हो०चि० कालिका का मरम्मत कार्य एवं योगा हॉल, चहारदीवारी, प्रसाधन का निर्माण कार्य	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	योग-	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00

उक्त शासनादेशों में दिये गए निर्देशानुसार तथा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में जिला योजना वर्ष 2025-26 के उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी पिथौरागढ़ को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 624/जि०यो०/रा०यो०आ०/मु०स०/2008 दिनांक 24.03.2008 व सचिव रा०यो०आ०, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 41/168/वा०जि०यो०/रा०यो०आ०/2016-17 दिनांक 17 अप्रैल, 2025 एवं सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 300720/E-22087/14(150) 2017/XXVII (1)/2025 दिनांक 26 मई, 2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार कुल रु० 15.00 लाख (पन्द्रह लाख रुपये मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है-

- 1- उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु स्वीकृत कार्यों पर ही किया जाय। व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिये यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि का अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 2- उक्त व्यय में बजट मैनुअल वित्तीय हस्त पुस्तिका टेण्डर/कोटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्ययता विषय में समय-समय पर जारी आदेशों का पालन किया जाये।
- 3- स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा, व्याधिक्य किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- 4- जिन कार्यों का प्राविधान स्वीकृत विस्तृत आंगणन में नहीं है उन कार्यों पर न तो कोई व्यय किया जाय और ना ही कोई वित्तीय वायदा किया जायेगा।
- 5- उक्त धनराशि का व्यय मानकों के आधार पर ही किया जायेगा तथा योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयवद्धता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 6- प्रश्नगत कार्यों के विस्तृत आंगणन पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति निर्गत करने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किये जायेगे एवं तत्पश्चात ही उन कार्यों पर व्यय किया जायेगा।
- 7- बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया में अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर बजट सीमा में प्रति माह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०ए०५४ पर विभागाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- 8- इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में किसी प्रकार का अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।
- 9- उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों हेतु अनुमोदित लागत सीमा में निर्धारित/आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत ही किया जाय।
- 10- सम्बन्धित विभाग द्वारा वास्तविक व्यय को पृथक-पृथक राजस्व-पूँजीगत मदों के अन्दर वर्गीकृत किया जायेगा।
- 11- जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् फोटोग्राफ्स भविष्य के अवलोकन हेतु सुरक्षित रखे जाये।

- 12- उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 के पत्र संख्या 129/XXXVII(7)32/2007 दिनांक 14 जुलाई 2017 द्वारा जारी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्राक्प्रमैट) नियमावली 2017 का अनुपालन करेंगे तथा आदेश संख्या 475/XXXVI(1)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण एजेंसी से एम0ओ0यू0 अवश्य किया जाय।
- 13- जिला योजना एक वार्षिक योजना है। अतः किसी भी दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में अवशेष धनराशि को बुक ट्रांसफर के माध्यम से सुसंगत प्राप्त लेखा शीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 14- किसी भी दशा में पी0एल0ए0 से धनराशि आहरित कर बैंक में नहीं रखी जायेगी।
- 15- स्वीकृत की जा रही धनराशि एच0ओ0डी0 कोड 8012 से सम्बन्धित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी के कोड में परिवर्तित कर सम्बन्धित विभाग के आहरण वितरण अधिकारी को आहरण वितरण का अधिकार प्रदत्त किया जाता है।
- 16- स्वीकृत कराये जा रहे कार्यों के आगणनों की टी0ए0सी0 से स्वीकृति ली जायेगी तथा टी0ए0सी0 स्वीकृति के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में आगणन गठित कर टी0ए0सी0 कराने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किये जाय तथा टी0ए0सी0 आगणन की एक प्रति अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 17- जिन कार्यों को टेण्डर/बॉण्ड के माध्यम से कराया जाना हो या कराया जा रहा हो उन कार्यों में टेण्डर/बॉण्ड की धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय। यदि किसी कारण से धनराशि टेण्डर/बॉण्ड से अधिक व्यय की जाती है तो अधिक व्यय धनराशि के कार्यों की स्वीकृति अधोहस्ताक्षरी से आवश्यक रूप से ले ली जाय, अन्यथा जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी।
- 18- विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत कराये जा रहे कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित एवं स्वीकृत नहीं किये गये हैं।
- 19- उक्त स्वीकृत धनराशि ऐसे कार्यों पर व्यय न की जाये जिस पर किसी प्रकार का विवाद हो।
- 20- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय में अनुदान संख्या 007 के अधीन लेखा शीर्षक 2515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम 00, 102 सामुदायिक विकास, 91 जिला योजना, 11 जिला योजना के क्रियान्वयन हेतु एक मुश्त 42 अन्य व्यय की मानक मद के नाम में डाला जायेगा।
- 21- सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 300720/E-22087/14(150) 2017/XXVII (1)/2025 दिनांक 26 मई, 2025 के बिन्दुओं का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें।
22. अवमुक्त धनराशि को व्यय करने हेतु उपरोक्त बिन्दुओं का अक्षरशः पालन करने की जिम्मेदारी जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी पिथौरागढ़ की होगी।

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

संख्या: 305/जि0यो0/प्रा0वि0स्वी0/2025-26 तददिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी पिथौरागढ़।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
- 3- अर्थ एवं संख्याधिकारी, पिथौरागढ़।
- 4- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) कुमाँयू मण्डल हल्द्वानी।
- 5- निदेशक, अर्थ एवं संख्या, देहरादून।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ प्रेषित।

1. ऑयुक्त कुमाँयू मण्डल नैनीताल।
2. निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
4. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग बजट सैल उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तराखण्ड देहरादून।
8. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
9. सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।


जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

DM Pithoragarh(8009)

Treasury-Pithoragarh(3800)

DDO-District Homeopathy Medical Officer Pithoragarh(2762)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H25080070126
आवंटन पत्र दिनांक-13-AUG-2025

लेखा शीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम
102-सामुदायिक विकास
04-जिला योजना पिथौरागढ़ के क्रियान्वयन हेतु एक मुश्त व्यवस्था

00--
91-जिला योजना

Voted

2	5	1	5	0	0	1	0	2	9	1	0	4
प्रोजेक्ट का नाम						मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग			
P8013161713408:Gov. Homeopath Kalika dharchula ka marmmat kary						42-अन्य विभागीय व्यय	0	1500000	1500000			
योग							0	1500000	1500000			

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.15,00,000 (Rupees Fifteen Lacs Only)

प्रोजेक्ट का नाम	प्रतिबंध लागत	टी ए सी लागत (निर्माण)	टी ए सी लागत (वसूली)	समायोजित मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
Gov. Homeopath Kalika dharchula ka marmmat kary	1200000	0	0	0	0	1200000	1200000

Approval Status : APPROVED BY SUPERVISOR

अर्थ एवं संख्याधिकारी
पिथौरागढ़

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

E-CHALLAN

Treasury Form -209(1)
Financial Handbook Vol. V ,Part - II
Form No. 43A(1)
(See Paragraph 417 and 478)
Challan form for depositing amount

Name of the Treasury / Sub - Treasury / Bank / Bank Branch Pithoragarh

1	Name of the person (designation if necessary or Organization on whose behalf amount is being paid)	District Homeopathy Medical OfficerPithoragarh
2	Address	Pithoragarh
3	Registration Number (if necessary)	
4	Full details of amount to be deposited (for which purpose and in favour of)	TRANSFER
5	Gross value of challan	1500000
6	Net value of challan	0
7	Full details of Head of Account (Transfer From)	251500102910442
8	13 Digit code of Head of A/C	As per details below

S.No.	Services	Detail Head	Amount
1	5040-Minor Irrigation Division Pithoragrah	8443001080503	1500000
Total Amount			1500000

Allotment ID :WH3800276209251000

Voucher Number

Voucher Date

Passed Amount

Amount in words

Rupees Fifteen Lacs Only

CTO/Sr. TO /STO Signature

Print Date : 04-Sep-2025